मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून, 2018 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 13)

जनजातीय कार्य विभाग

पटलित दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
575	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.5039) दि. 21-03-2018 (श्री नीलेश अवस्थी,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	(1) प्रदेश में मांझी समाज के समतुल्य ढीमर, वर्मन, निषाद, केवट, कहार, मलाह, रैकवार, पवेहा, सोंधिया समाज आदि को रखे जाने हेतु शासन द्वारा गठित मांझी विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निराकरण कर भारत सरकार को अनुशंसा की जाना। (2) रजक/धोबी जाति को संपूर्ण मध्यप्रदेश में अनुसूचित जाति में मान्य किये जाने हेतु आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान में परीक्षणाधीन अभ्यावेदन का शीघ्र निराकरण किया जाना।	(1) प्रकरण समिति के समक्ष विचाराधीन है। (2) रजक/धोबी जाति को सम्पूर्ण प्रदेश में अनुसूचित जाति में शामिल करने विषयक अभ्यावेदन आदिम जाति अनुसंधान एवं विकास संस्थान में परीक्षणाधीन है।		
576	अतारांकित प्रश्न सं.138 (प्रश्न क्रं.3516) दि. 13-03-2018 (श्री अमर सिंह यादव,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	प्रदेश में मांझी समाज के समतुल्य ढीमर, वर्मन, निषाद, केवट, कहार, मलाह, रैकवार, पवेहा, सोंधिया समाज आदि को रखे जाने हेतु शासन द्वारा गठित मांझी विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचाराधीन प्रकरण का निराकरण कर भारत सरकार को अनुशंसा की जाना।	प्रकरण विशेषज्ञ समिति के समक्ष विचाराधीन है।		
577	अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.5826) दि. 28-03-2018 (श्री आरिफ अकील,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	विमुक्त, घुमक्कड़ विभाग का कार्य जिलास्तर पर जनजातीय कार्य विभाग को सौपा जाना।	जी हॉं। शेषांश का परीक्षण गतिशील है।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून, 2018 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 13)

पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग

पटलित दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
578	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.202 (प्रश्न क्रं.5737) दि. 23-03-2018 (श्रीमती शीला त्यागी,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	श्री सुभाष शर्मा संविदा शिक्षक की नियुक्ति की जांचकर्ता अधिकारी श्री पुरूषोत्तम शर्मा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मोहन बड़ोदिया, जिला शाजापुर द्वारा बिना सक्षम अधिकारी व विभागीय सत्यापन के एक पक्षीय जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	उत्तरांश (क) अनुसार जांच रिपोर्ट पर कार्यवाही प्रचलित है । गुणदोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून, 2018 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 13)

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग

पटलित दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
579	अतारांकित प्रश्न सं.128 (प्रश्न क्रं.3531) दि. 08-12-2017 (श्री यशपालसिंह सिसौदिया,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	कैंसर चिकित्सालय एवं शोध संस्थान ग्वालियर एवं बी.आई.एम.आर. हॉस्पिटल ग्वालियर को शासन द्वारा लीज पर दी गई भूमि का उपयोग अनुबंध की शर्तों के अनुसार न किये जाने की जांच एवं कार्यवाही।	प्रकरण में प्रारंभिक जांच में प्रथम दृष्टया अनुबंध की शर्तो का पालन होना नहीं पाया गया। एक समिति का गठन कर विस्तृत जांच करने के निर्देश दिये गये हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून, 2018 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 13)

स्कूल शिक्षा विभाग

पटलित दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
580	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.66 (प्रश्न क्रं.4047) दि. 20-03-2018 (डॉ. योगेन्द्र निर्मल,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	प्रश्नकर्ता मा.सदस्य द्वारा स्कूल शिक्षा विभाग को लिखे गये पत्रों पर कार्यवाही नहीं किये जाने के लिए संबंधित प्रभारी लिपिकों को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये जाने के पश्चात् प्राप्त प्रतिवाद उत्तर के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	कतिपय पत्रों पर कार्यवाही न होने पर संबंधित प्रभारी लिपिकों को दिनांक 14.06.2018 को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया है । प्रतिवाद प्राप्त होने पर गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून, 2018 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 13)

सहकारिता विभाग

पटलित दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
582	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.2223) दि. 04-12-2017 (श्रीमती शीला त्यागी,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	अल्प आर्य वर्ग सोसायटी, रीवा द्वारा म.प्र. सहकारी सोसाइटी अधिनियम का पालन न किये जाने के संबंध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं कार्यवाही।	प्राप्त शिकायत की जांच हेतु जांच दल गठित किया गया है, जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर, जांच निष्कर्षानुसार दोषियों के विरूद्ध मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1960 के प्रावधनानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
584	अतारांकित प्रश्न सं.109 (प्रश्न क्रं.857) दि. 27-11-2017 (श्री सचिन यादव,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	वर्ष 2017-18 में एम.पी. सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्याज के भंडारण एवं निस्तारण में की गई अनियिमतता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	वर्ष 2017-18 में एम.पी. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन द्वारा प्याज के भंडारण एवं निस्तारण में असावधानी बरतने, पर्याप्त एवं उचित रख-रखाव न रखने के कारण प्याज की गुणवत्ता प्रभावित से 7 जिला प्रबंधकों/संबंधित अधिकारी को निलंबित किया जाकर विभागीय जांच की कार्रवाई प्रचलन में है एवं 46 अधिकारियों कर्मचारियों को कारण बताओं सूचना पत्र जारी किया गया है।		
585	अतारांकित प्रश्न सं.150 (प्रश्न क्रं.2730) दि. 04-12-2017 (श्री सूबेदार सिंह रजौधा,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	म.प्र. राज्य सहकारी तिलहन संघ मर्या. के सेवायुक्तों के संविलियन हेतु जारी संविलियन योजना की समयावधि समाप्त हो जाने पर समयावधि बढ़ाये जाने के साथ ही शेष कर्मचारियों का संविलियन किया जाना।	संविलियन योजना की समयावधि में वृद्धि की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है, योजना की समयावधि में वृद्धि उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून, 2018 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 13)

सहकारिता विभाग

पटलित दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
581	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.4) दि. 27-02-2018 (डॉ. गोविन्द सिंह,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर की समितियों द्वारा की गई अनियमितता की जांच एवं कार्यवाही।	वर्ष 2014 से अक्टूबर 2016 तक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित छतरपुर की समितियों में मनमाने तरीके से कथित किसानों के नाम से पात्रता से अधिक फर्जी ऋण दर्शाकर अनियमितता करने की जांच हेतु अपेक्स बैंक को लिखा गया है।		
583	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.80 (प्रश्न क्रं.5696) दि. 27-03-2018 (श्री सुन्दरलाल तिवारी,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	सेवा सहकारी समिति मर्यादित वीरों, डिकौली, सेंधवा, रामटौरिया द्वारा वर्ष 2017-18 में गेहूँ उपार्जन में अनियमितता किये जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	(1) सेवा सहकारी समिति मर्यादित वीरों, डिकौली, सेंधवा, रामटौरिया के विरूद्ध गेहूं उपार्जन 2017-18 में शिकायतें आई थी। शिकायतों की जांच उप आयुक्त सहकारिता जिला छतरपुर द्वारा की जा रही है। शेष जांच निष्कर्षाधीन। (2) इस संबंध में जांच उपरांत कार्यवाही की जा सकेगी।		
586	अतारांकित प्रश्न सं.150 (प्रश्न क्रं.5907) दि. 27-03-2018 (श्री संदीप श्री प्रसाद जायसवाल,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	विधानसभा प्रश्न क्र. 7779 दिनांक 31.3.17 के संदर्भ में जांच के आधार पर अधिरोपित राशि की शीघ्र वसूली किये जाने की कार्यवाही की जाना।	कलेक्टर एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक को शीघ्र वसूली कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय

जून, 2018 सत्र में अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तर (खण्ड- 13)

सामान्य प्रशासन विभाग

पटलित दिनांक: 25-06-2018

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
587	अतारांकित प्रश्न सं.91 (प्रश्न क्रं.3024) दि. 13-03-2018 (श्री आरिफ अकील,) पटलित दिनांक: 25/06/2018	म.प्र. राज्य लघु वनोपज सहकारी संघ भोपाल के विरूद्ध लोकायुक्त संगठन को की गई शिकायत का परीक्षण समय-सीमा में किया जाकर परीक्षण निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	प्रकरण परीक्षणाधीन है।		